rojgar with ankit

Polity-

इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
According to this Act. Indian Citizenship can be obtained in the following 5 ways.

→ भारतीय नागरिकता
अधि० 1955

(1) जन्म द्वारा (By Birth)
(2) वंश परंपरा (By Descent)
(3) पंजीकरण द्वारा (By Registration)
(4) देशीयकरण द्वारा (By Naturalization)
(5) भूमि अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

1. जन्म से (By Birth)

कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो. भारत का नागरिक होगा।
Any person born in India on or after 26 January 1950 will be a Citizen of India

अपवाद:- विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे
→ शत्रु के अधीन किसी भू-भाग पर जन्मे बच्चे

1955 Act.
⇓
1986 ⇒ संशोधन (Amendment)
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986' पारित किया गया। जिसके अनुसार - जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का

नागरिक होना अब आवश्यक है।

Citizenship Amendment Act, 1986 was passed. According to which, for Citizenship by birth, it is now necessary that at the time of birth of the person, either of his parents was a Citizen of India.

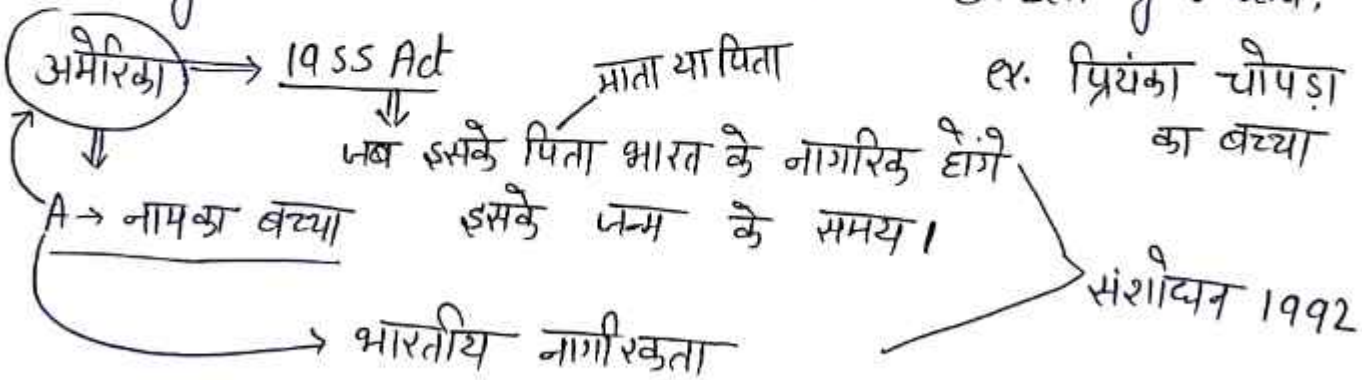
Birth of Place जन्म स्थान ⇒ भारत

(1986) = (माता / पिता में से जन्म के समय एक भारत नागरिक हो।

2. वंशपरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई० को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है:

A person born on or after 26 January 1950 in any Country outside India Can be a Citizen of India.



rojgar with ankit

यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

if at the time of his birth either of his parents is a citizen of India. The provision of granting citizenship to a person born abroad on the basis of mother's citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992.

rojgar with ankit

3. पंजीकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा-

Any of the following persons can acquire Indian Citizenship through registration. As-

पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से (7 वर्ष) (5-7 वर्ष) ⟶ पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति

A person residing in India for (7 years) — prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किन्तु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो।

Persons who were born in India but are residing in any Country Outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है। A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

⇒ भारतीय नागरिकों के अवयस्क (Minor) बच्चे।
Minor Children of Indian Citizens.

rojgar with ankit

4. देशीयकरण से (By Naturalisation)

कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो. Any foreign national who is an adult and has renounced the Citizenship of his Country and has informed the Government of India about it and has been living in India Continuously for at least one year before applying for Indian Citizenship.

इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लीखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्तकर भारत का नागरिक बन सकता है।
Along with this, he has also lived in India for a total of at least 11 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the language mentioned in the Constitution, then he can become a Citizen of India by obtaining a Certificate of naturalization from the Government of India.

(A)

देशीयकरण ⇒ इसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो।

(1)

→ भारत में निवास (Residence) 11 year's

→ नागरिकता के लिए आवेदन से आवेदन से पहले 1 वर्ष भारत में रह चुका है।

→ आधिकारिक भाषायें — में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

Official language ⇒ (22)

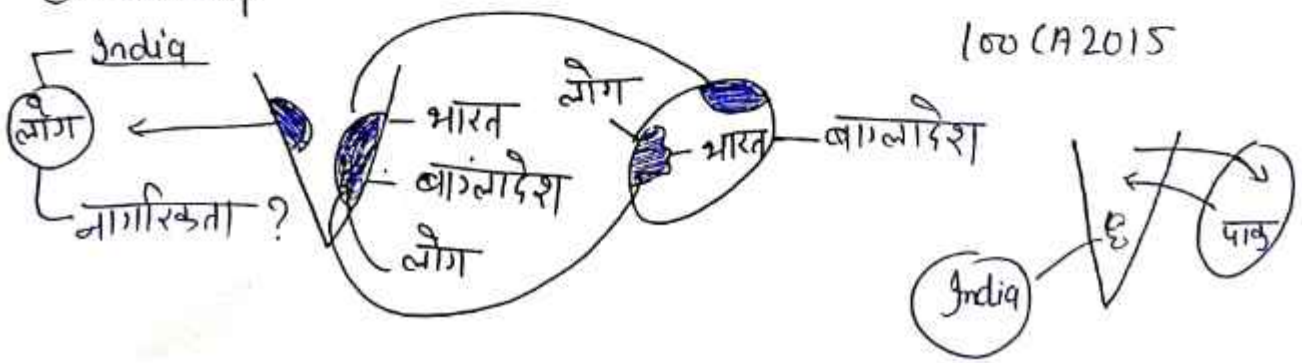
⇓

विज्ञान, कला, साहित्य

5. भूमि के अर्पन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्पित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian Citizenship



rojgar with ankit

नागरिकता का अन्त (The Abolition of Citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है-
The Citizenship of an Indian Citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
On acquiring the Citizenship of another Country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या
On renouncing the Citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर
On being deprived of Citizenship by the government

अमेरिका ⇓ अमेरिका की नागरिकता

सरकार द्वारा नागरिकता का अंत

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-
The Government of India may deprive a person of Indian Citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,
For Showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,
For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर
For acquiring Citizenship by wrong means